राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1638/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम,वृत–बी,अलवर ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 राजेश मोटर्स एजेन्सीज प्रा0लि0,
ए–I ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अधिकृत अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :18/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 149/आरवेट/ए/07–08 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत–बी, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 13.10.2007 को रिक्शे में माल परिवहनित होते हुए रेल्वे स्टेशन के पास चैक किया गया। परिवहनित माल के साथ कोई बिल, चालान, बिल्टी नहीं होने के कारण माल को नियमानुसार निरूद्ध किया जाकर, कारण बताओं नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में मै0 राजेश मोटर्स एजेन्सीज की ओर से लेखाकार ने जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, सशक्त अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत माल कीमतन रू0 1,62,000/–पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू0 48,600/– आदेश दिनांक 14.11.2007 के द्वारा व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28.01.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी का हैड ऑफिस ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर में स्थित है तथा ब्रांच ऑफिस राज्य में कोटा, अलवर, उदयपुर व जोधपुर में स्थित है। हैड ऑफिस द्वारा स्टॉक ट्रांसफर के रूप में

लगातार.....2

माल को सर्विस स्टेशन एवं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स मै0 अशोका लिलैण्ड प्रा0लि0 को भेजा जाता है। उक्त माल फ्री रिप्लेसमेंट अन्डर वांरटी के तहत परिवहनित हो रहा था, जो कि सर्विस में प्रत्युक्त होता है। सशक्त अधिकारी के समक्ष स्टॉक ट्रांसफर नोट प्रस्तुत कर दिया था, किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया जाकर शास्ति आरोपित कर दी गयी। प्रत्यर्थी के विरूद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवहनित माल मै0 राजेश मोटर्स एजेन्सीज, जयपुर की ओर से रिप्लेसमेंट हेतु बिना मूल्य के भेजा जा रहा था एवं स्टॉक ट्रांसफर नोट से समर्थित था। अपीलीय अधिकारी ने उचित कारणों से संतुष्ट होकर ही आदेश पारित किया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार होने योग्य है।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 28.01.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष